पत्रांक- MP/DO-33/26

दिनांक- 26/02/2026

वैलिड/वैधानिक सदस्य पत्र

नॉमिनी श्रीमती रेखा गुप्ता

आपके पुत्र हरीश गुप्ता जी के स्वर्गवासी होने की सूचना मानवता परिवार और मानवता परिवार की संपूर्ण टीम को प्राप्त हुई, जिसे जानकर बहुत ही दुःख हुआ। असमय हम सभी को छोड़कर जाना अत्यंत कष्टकारी एवं पीड़ा दायक है।इस दुःख की घड़ी में संपूर्ण मानवता परिवार आपके साथ है।

मानवता परिवार आईडी-MP003948-स्व. हरीश गुप्ता निवासी-ग्राम गोविंदपुर वलाउली, लालगंज , रायबरेली उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन मानवता परिवार में दिनांक-14/10/25 हुआ था।स्वर्गीय हरीश गुप्ता की मृत्यु दिनांक- 11/1/2026 , मधुमक्खियां के काटने से हुआ है । स्वर्गीय हरीश गुप्ता की जन्म तिथि 14/09/1998 अंकित है। आधार कार्ड एवं मानवता परिवार के फॉर्म में अंकित जन्मतिथि के अनुसार उम्र 18 से कम एवं 62 वर्ष से अधिक नहीं है।मानवता परिवार में 3 महीने जुड़े रहे। डेथ सर्टिफिकेट एवं मृत्यु दिनांक के अनुसार मृतक नॉमिनी सहयोग का लॉकिंग पीरियड 90 दिन पूरा हो गया है।

मानवता परिवार के नियमावली की भाग संख्या F "नॉमिनी को सहयोग प्राप्त होने संबंधी नियम" के नियम -1 के तहत "मानवता परिवार में सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत 3 माह (90 दिन का) लॉक इन पीरियड रहेगा। स्व. हरीश गुप्ताजी की आयु मृत्यु दिनांक को मृत्यु सर्टिफिकेट एवं आधार के अनुसार आयु 27 वर्ष 3 माह 28 दिन हो रही है।मानवता परिवार के नियमवाली की "भाग संख्या A- सदस्य बनने की आद्रता के नियम 2- के तहत आयु सीमा 18 से 62 वर्ष होनी चाहिए" । स्व. हरीश गुप्ता पर मृतक नॉमिनी, सहयोग ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट में 80% सहयोग करने का नियम लागू होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन दिनांक ,मृत्यु दिनांक तक संस्था स्वर्गीय सीताराम का सहयोग कराया गया था जिसको उन्होंने पूर्ण कर रखा है।

अतः स्वर्गीय मानवता परिवार के वैलिड सदस्य हैं। स्व. हरीश गुप्ता जी के नामिनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मानवता परिवार की टीम की तरफ से आश्वस्त किया जाता है, कि 25 मार्च 2026 में सहयोग की प्रक्रिया संपादित कर दी जाएगी।

धन्यवाद

विनोद कुमार चक्रवर्ती

प्रदेश प्रभारी -मानवता परिवार